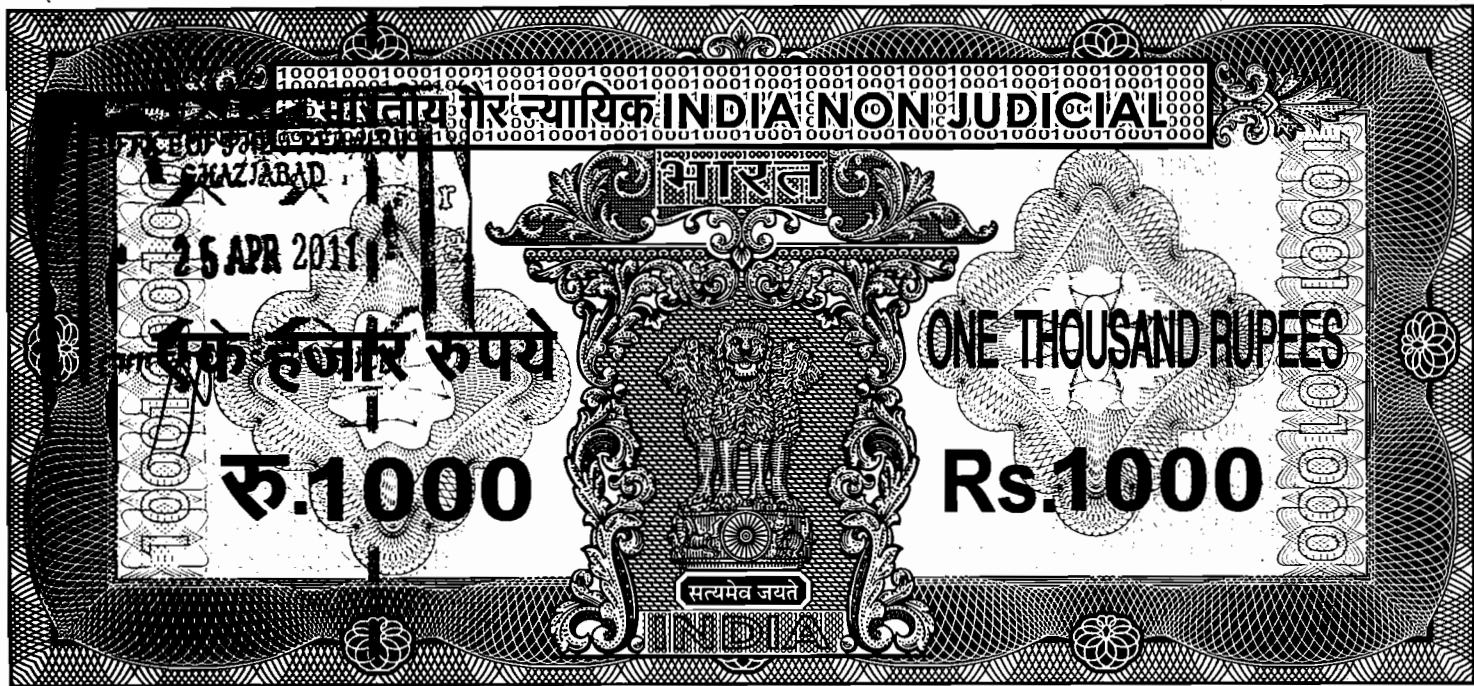




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 222088

(19/20)

उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये हैं, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, किसी प्रकार विक्रय या दान करे। दोनों पक्ष अथवा उनके किसी वारिसान अथवा प्रतिनिधि को कोई आपत्ति न होगी। विनिमित्त भूमि के विषय में यदि कोई वैधानिक वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित पक्ष अपने व्यय पर सक्षम न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे। समस्त राजपत्रों में दोनों पक्ष अपना नाम इस विनिमय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले।

अतः यह विनिमय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और

*[Signature]*

*[Signature]*

12 5 APR 2011

376/374

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

रतार लाफ़ा

1000

अनिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 352

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

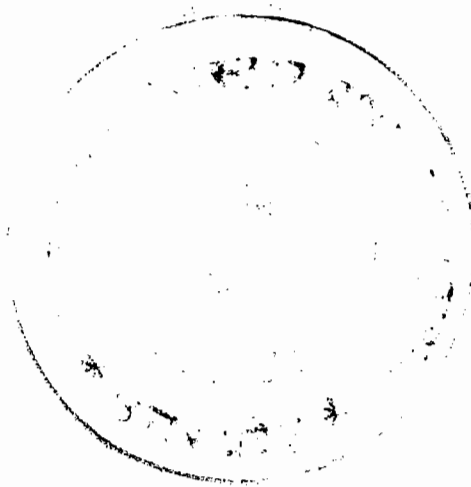
बहाल कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

*[Signature]*



जीत

*[Signature]*



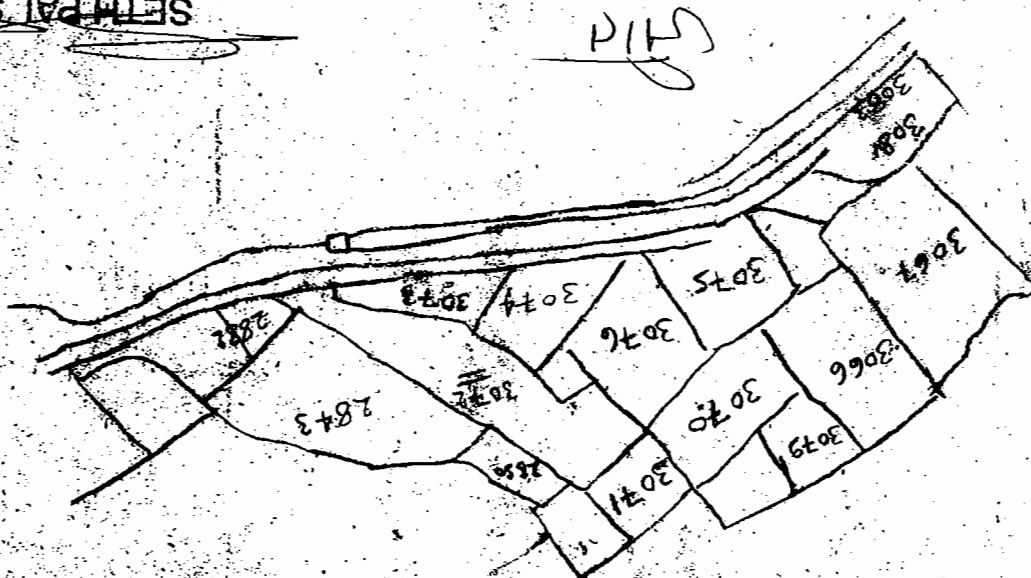
SETH PAL SINGH

136 11091 93

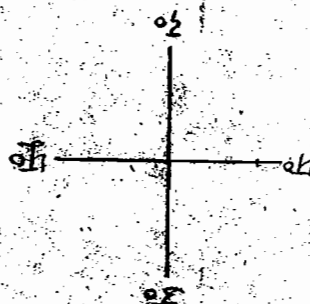
23 13h 15h

PHS

6/11/18



2-01-17 Hite Rite



101 NORTH DAVENPORT

9026010-10412 14 7.4 211117 101117

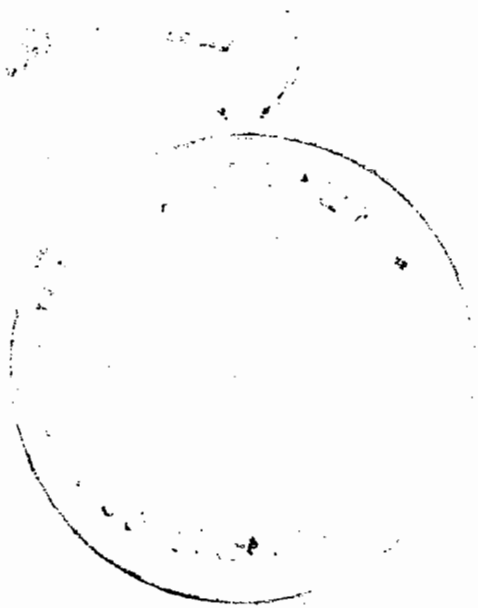
050500-000000 1 FEB 1970

2006 10 10 10:10

11/11/15 - 11/11/17

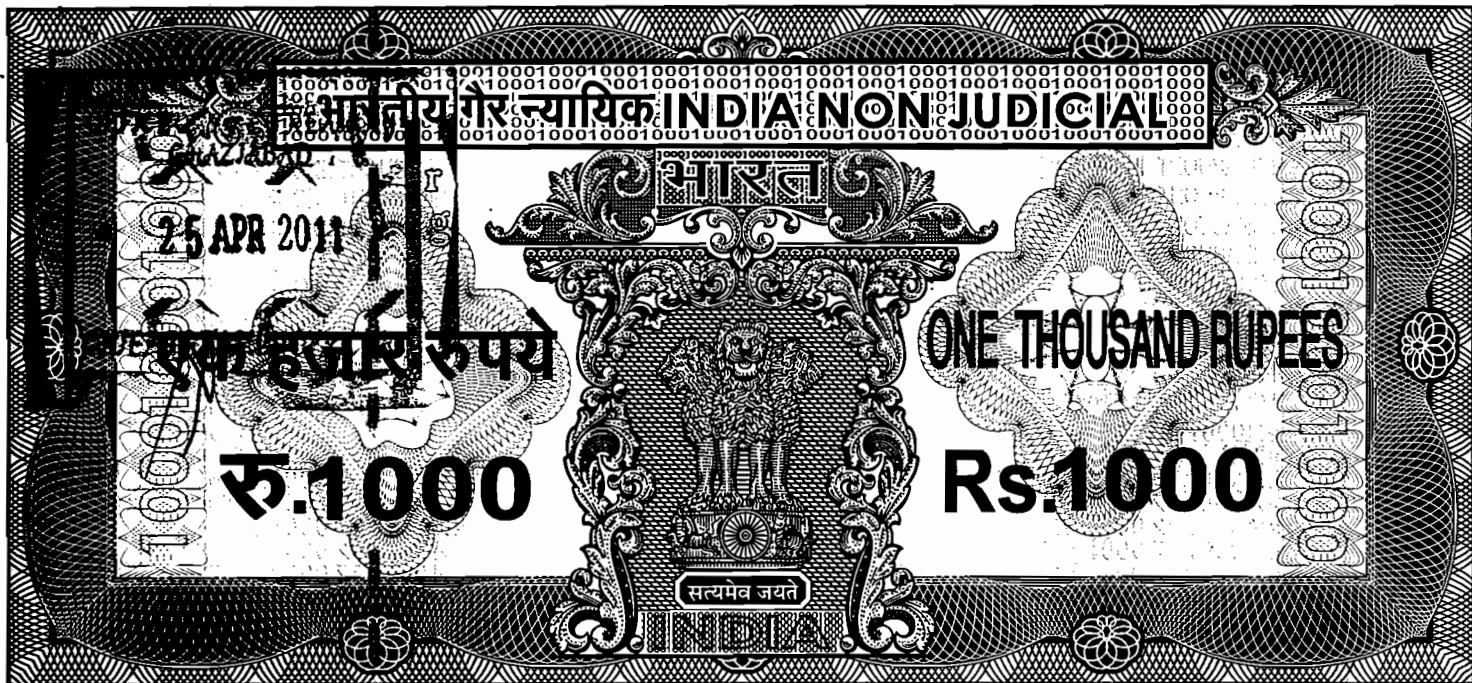
2023 12/2/2023

[illegible]



11/11/66

11/11/66  
11/11/66  
11/11/66



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 222089

(20/20)

समय पर काम आवें।

*[Signature]*

*[Signature]*

गवाह : जगपाल चौधरी रिस्नाल  
 नि. काहपुर बन्देली जाबहाद  
 21/01/11 4/5/11 - 830852

*[Signature]*  
 3. तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद.  
 एडवोकेट

गवाह : मुकेश कुमार चौधरी लखनऊ  
 83 तहसील कम्पाउण्ड जाबहाद  
 नि. काहपुर

*[Signature]*  
 3. तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद.  
 एडवोकेट

दिनांक: - 25-04-2011 मसौदा चौधरी बहापाल सिंह बहापाल, रिस्नाल, एडवोकेट,  
 चैम्बर नं० 53, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद/9811131429

*[Signature]*



377/374 25 APR 2011

स्वाम्य क्रय कर के दा. प्रयोजन.....  
स्वाम्य क्षेत्र का नाम व पूरा पता.....  
स्वाम्य की धनराशि.....

अनिल कुमार कंसल स्वाम्य निकेत

लाइसेंस नम्बर 352

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
गोपाल कम्पउड्ड, गाजियाबाद

आज दिनांक 25/04/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 8854

पृष्ठ सं. 173 से 214 पर क्रमांक 2413

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

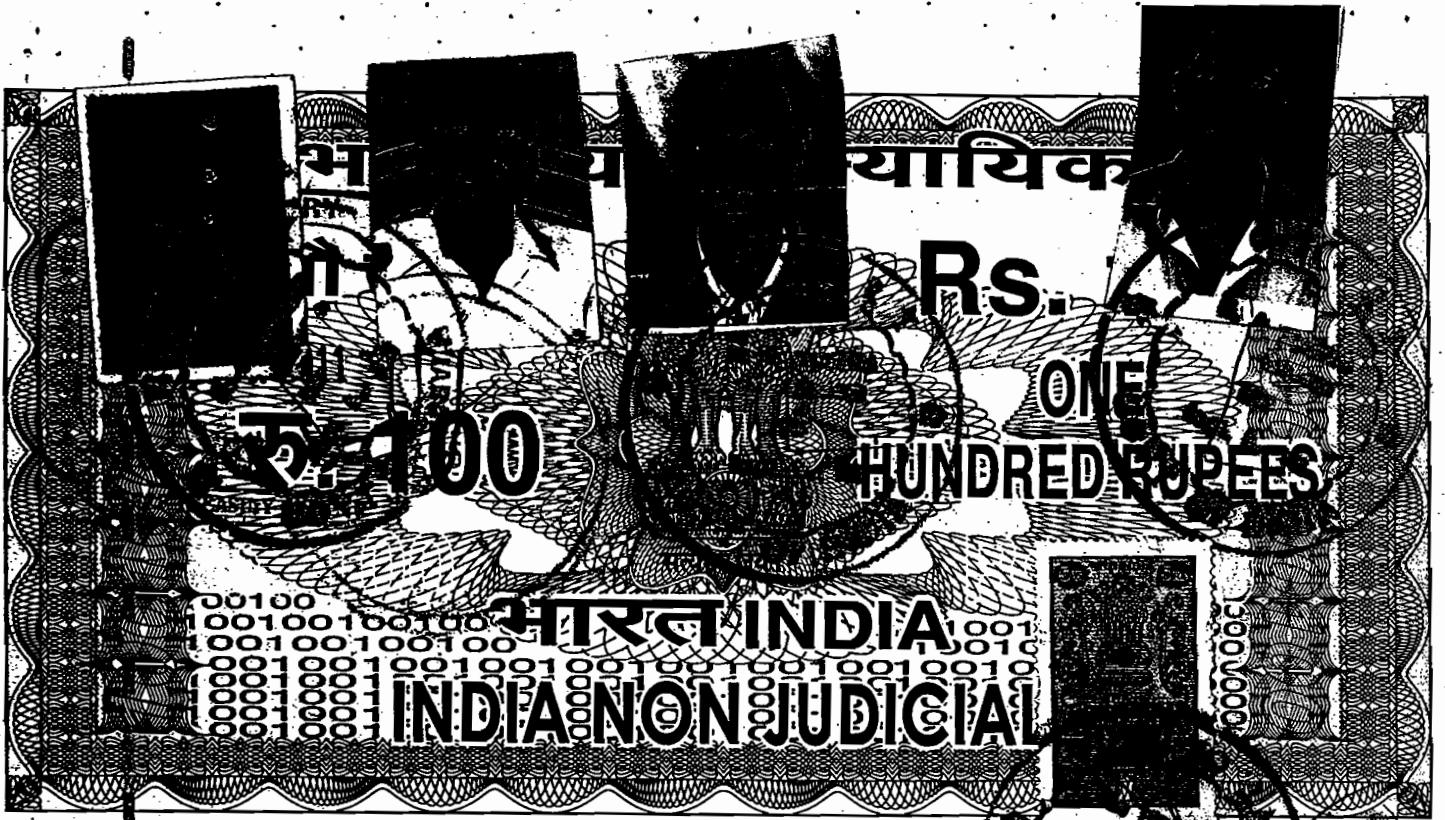
प्रभारी

उप निबन्धक प्रथम

गाजियाबाद

25/4/2011





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रसीद

हम कि श्री जीत व श्री रामपाल व श्री चमन पुत्रगण श्री गुल्ला निवासी - ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद - प्रथम पक्ष।

सारे सामग रियलटी प्रा० लि० बी- 67, सरिता विहार दिल्ली- 76 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री जे० पी० शर्मा निवासी - बी-72, सेक्टर-53, नोएडा, गौतमबुद्धनगर - द्वितीय पक्ष।

विदित हो कि प्रथम पक्ष खाता नं० 1985 खसरा नं० 3070 क्षेत्रफल 0.3540 हेक्टेयर व खसरा नं० 3072 क्षेत्रफल 0.2780 हेक्टेयर कुल नम्बरान 2 कुल क्षेत्रफल 0.6320 हेक्टेयर स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के मालिक काबिज संकमणीय भूमिधर है जो हर प्रकार के बन्धक भार आदि-आदि से मुक्त है। प्रथम पक्ष ने अपनी सम्पूर्ण भूमि को बदले कुल अंकन-1,56,00,000/- रुपये [एक करोड छप्पन लाख रुपये मात्र] जिसके आधे अंकन-78,00,000/- रुपये होते है, के बदले द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दी है तथा कुल धनराशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है तथा केता फर्म की ओर कोई धनराशि शेष नहीं रही है। प्रथम पक्ष एवं उनके वारिसान का उक्त वर्णित भूमि से भविष्य में कोई वास्ता या ताल्लुक किसी किस्म का नहीं रहेगा।

जीत

रामपाल

चमन

Sharma